भारत पाँच रुपये

1रु. कोर्ट फीस Re.1 COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

1रु. कोर्ट फीस Re.1 COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

CF 3/7

36

न्यायालय उपजिलाधिकारी अमरोहा

वाद संख्या–50/2009 अन्तर्गत धारा–143 ज0वि0अधि0

मौजा– निजामपुर गर्बी परगना व तहसील अमरोहा

राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय अमरोहा द्वारा प्रबन्धक बनाम लेखपाल

निर्णय

=======

प्रस्तुत वाद श्रीमति राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय अमरोहा द्वारा प्रबन्धक नासिर हसन निवासी मौहल्ला सद्दो अमरोहा द्वारा धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत योजित किया गया जिसपर तहसीलदार अमरोहा से आख्या माँगी गयी । प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि आराजी गाँटा सं0 402 रक्दा 0–162हे0 व गाँटा सं0 403 रक्बा 0–293हे0 व 404 रक्बा 0–717हे0 स्थित ग्राम निजामपुर गर्बी का मालिक है उपरोक्त भूमि में राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय निर्माणाधीन है और उक्त भूमि अब कृषि भूमि नही है । इस कारण उक्त भूमि में अकृषिक भूमि दर्ज करके लगान मुक्त कर दिया जाये ।

तहसीलदार अमरोहा से दिनांक 16.7.2009 को आख्या प्राप्त हुई । तहसीलदार अमरोहा ने अपनी आख्या दिनांक 16.7.09 में कहा है कि प्रश्नगत आराजी में कोई मुर्गीपालन, पशुपालन, अथवा खेती अथवा बागवानी का कार्य न होकर प्रश्नगत आराजी में मौके पर आबादी बनी है तथा कुछ भाग पर चार दीवारी बनी हुई है तथा गाँटा सं0 402 रक्बा 0–162हे0 व 403 रक्बा 0–295हे0 व 404 रक्बा 0–717हे0 में इस समय आबादी है तथा चाहर दीवारी बनी है तथा उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित करने की संस्तुति की है जिसके साथ पर्द्द खतौनी व खसरा दाखिल किया है तथा लेखपाल एवं स्वयं अपने बयान अंकित कराये है ।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना । पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार अमरोहा की आख्या व पर्द्द खतौनी वर्ष 1416 ता 1421 व खसरा वर्ष 1416 फसली ग्राम निजामपुर गर्बी को देखा । पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार अमरोहा की आख्या में यह अंकित किया है कि उक्त नम्बरान पर कृषि कार्य नही हो रहा है और चाहर दीवारी बनी हुई है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि तहसीलदार अमरोहा की आख्या दिनांक 16.7.2009 स्वीकार होने योग्य है ।

आदेश

=========

अस्तु तहसीलदार अमरोहा की आख्या दिनांक 16.7.2009 स्वीकार की जाती है तथा ग्राम निजामपुर गर्बी की भूमि गाँटा सं0 402 रक्बा 0–162हे0 व गाँटा सं0 403 रक्बा 0–295हे0 व गाँटा सं0 404 रक्बा 0–717हे0 भूमि पर अकृषिक भूमि घोषित की जाती है । तद्नुसार घोषणा पत्र जारी हो । पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो ।

दिनांक:– 30/7/09

उपजिलाधिकारी
अमरोहा

17-2-18

17-2-18

A.R.K.L.
15/7/11

6962
15-2-18

200
17-2-18
17-2-18

Photo Copy ATTESTED
DALIP ... MATHUR
Advocate/Notary Public
Area-Throughout, Distt. Court
Amroha (J.P.Nagar) Reg. No. ...